[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना सं. 41/2020 सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, 27 नवम्बर , 2020

सा.का.नि (अ). जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (एतद्पश्चात विषयगत देश सं सदंर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित भारी और मध्यम वाणज्यिक बाहनों के लिए बनाए जाने वाले फ्रंट एक्सेल बीम और स्टीरिंग नकल्स (एतद्पश्चात विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7326 1910, 7326 1990, 7326 9099, 8708 5000, 8708 9900 के अंतर्गत आता है, पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 49/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 जिसे सा.का.नि 802 (अ), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड- 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत विषयगत माल के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से सदंर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/26/2020- डीजीटीआर, दिनांक 18 अगस्त, 2020 के तहत दिनांक 18 अगस्त, 2020 को समीक्षा का कार्य शुरू किया था और उन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है;

और जबकि केन्द्र सरकार ने विषयगत देश में उत्पादित और निर्यात होने वाले विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क को सम्मिलित रूप से 30 नवम्बर, 2020 तक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 31/2020 सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 से और आगे बढाया गया था, जिसे सा.का.नि 646 (अ), दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 के तहत भारत में राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था;

और जबकि नामित प्राधिकरण द्वारा विषयगत देश में उत्पादित और निर्यात होने वाले विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क को और आगे बढाये जाने का अनुरोध किया है।

अत: अब उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमवाली के नियम 18 और 23 के अनुपालन में, केन्द्र सरकार, एततद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 49/2015- सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 जिसे सा.का.नि 802 (अ), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिनियम में, पैराग्राफ 3 में, अंकों और शब्दों "30 नवम्बर 2020" के लिए अंकों और शब्दों "31 जनवरी, 2021" को प्रतिस्थापित किया गया है।

[फा. सं. 354/118/2009- टीआरयू (पीटी. II)]

ज.सि.कंधारी

(जैनेन्द्र सिंह कंधारी)
उप सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 49/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 को सा.का.नि 802 (अ) दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 31/2020- सीमाशुल्क (एडीडी), 16 अक्टूबर, 2020 जिसे सा.का.नि. 646 (अ), दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है ।